रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2015/वैशाख 4, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15
No. 52] DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2015/VAISAKHA 4, 1937 [N.C.T.D. No. 15

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग
(कृषि विपणन निदेशालय)
अधिसूचना
दिल्ली, 24 अप्रैल, 2015

सं. फा. 8 (33)/2013/डी.ए.एम./एम.आर./1418.—दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसरण में कृषि उत्पाद विपणन समिति आजादपुर द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियां एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है :-

उपविधियाँ

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 118 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के दिनांक 31.10.2014 के संकल्प संख्या 94/2014 के पूर्व अनुमोदन से कृषि उत्पाद विपणन समिति, आजादपुर, कृषि विपणन समिति उपविधियों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ** :- (1) ये उपविधियां आजादपुर कृषि उत्पाद विपणन समिति (संशोधन) उपविधियां, 2015 कही जायें।
(2) ये तत्काल लागू होंगे।

2. **उप-विधि-49 का संशोधन**
विक्रेता की अपेक्षा क्रेता से कमीशन वसूलना :- वर्तमान उपविधि 49 (3) भाग 1 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि यद्यपि वर्तमान 6 प्रतिशत कमीशन दर लागू रहेगी परन्तु यह किसान/विक्रेता से नहीं अपितु क्रेता से वसूल की जायेगी।

वी. पी. राव, विशेष सचिव (विकास)

Scanned by CamScanner

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th April, 2015

No. F. 8 (33)/2013/DAM/MR/1418.— In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the following bye-laws are made and adopted for the Agricultural Produce Marketing Committee, Azadpur and confirmed by the Director, are hereby notified as under:

"BYE-LAWS"

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 and with previous approval of the Delhi Agricultural Marketing Board vide resolution No. 94/2014 dated the 31.10.2014 the Agricultural Produce Market Committee, Azadpur hereby makes the following Bye-laws further to amend the Azadpur Agricultural Produce Market Committee bye-laws, namely:—

Short title and Commencement — 1. (i) These Bye-Laws may be called the Azadpur Agricultural Produce Market Committee (Amendment) Bye-Laws, 2015.

(ii) They shall come into force at once.

Amendment of Bye-Law No. 49

Charging of Commission from Purchasers instead of Sellers — 2. Existing Bye-Law 49 (3) Part I is amended to the effect that though the Commission shall be charged at the existing rate of 6% but it shall be charged from the buyers and not from Farmers/Sellers.

V. P. RAO, Spl. Secy. (Development)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अप्रैल, 2015

सं.फा. 25/5/2012/डीएसडीसी/स्वा. एवं परि.कल्या./3671–76.—गृह मंत्रालय की दिनांक 7.11.2008 अधिसूचना संख्या का.आ. (अ).——— के साथ पठित दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का 16) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली दन्त परिषद का निम्नानुसार गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

क्रम सं0	नाम	खण्ड जिसके अन्तर्गत नामित /चुने है
1.	डॉ. अनिल आर्या	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (क)
2.	डॉ. अनिल कुमार चान्दना	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (क)
3.	डॉ. दिपेश ढल्ला	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (क)
4.	डॉ. मीरा वर्मा	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (क)
5.	डॉ. अरीश कुमार कक्कड	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ख)
6.	डॉ. हंसराज प्रेम सचदेव	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ख)
7.	डॉ. कृष्ण कुमार कक्कड	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ख)
8.	डॉ. परमानन्द	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ख)
9.	डॉ. महेश वर्मा, मेडस्	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ग)
10	डॉ. रागिनी, जामिया मिलिया इस्लामिया डैन्टल कॉलेज	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ग)
11	डॉ. विपिन मित्तल	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ङ)

Scanned by CamScanner

12.	डॉ. ऋषि राज	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ङ)
13.	डॉ. सरबप्रीत सिंह गुगलानी	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (ङ)
14	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 21 का खण्ड (च)

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की जारी होने की तिथि से पाच वर्ष का होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम पर,
सुषमा सिंह, उप-सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th April, 2015

F. No. 25/5/2012/DSDC/H&FW/3671-76.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), read with Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. (E).——— dated 07.11.2008, the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the Delhi Dental Council with the following members:—

S. No.	Name	Clause under which nominated / elected
1.	Dr. Anil Arya	Clause (a) of Section 21 of Dentists Act, 1948
2.	Dr. Anil Kr. Chandna	Clause (a) of Section 21 of Dentists Act, 1948
3.	Dr. Deepesh Dhalla	Clause (a) of Section 21 of Dentists Act, 1948
4.	Dr. Meera Verma	Clause (a) of Section 21 of Dentists Act, 1948
5.	Dr. Arish Kumar Kakar	Clause (b) of Section 21 of Dentists Act, 1948
6.	Dr. Hans Raj Prem Sachdev	Clause (b) of Section 21 of Dentists Act, 1948
7.	Dr. Krishan Kumar Kakar	Clause (b) of Section 21 of Dentists Act, 1948
8.	Dr. Parmanand	Clause (b) of Section 21 of Dentists Act, 1948
9.	Dr. Mahesh Verma, MAIDS	Clause (c) of Section 21 of Dentists Act, 1948
10.	Dr. Ragini, Jamia Millia Islamia Dental College	Clause (c) of Section 21 of Dentists Act, 1948
11.	Dr. Vipin Mittal	Clause (e) of Section 21 of Dentists Act, 1948
12.	Dr. Rishi Raj	Clause (e) of Section 21 of Dentists Act, 1948
13.	Dr. Sarabpreet Singh Guglani	Clause (e) of Section 21 of Dentists Act, 1948
14.	Director, Directorate of Health Services	Clause (f) of Section 21 of Dentists Act, 1948

Subject to provisions of the aforesaid Act, the term of office of the above members shall be five years from the date of publication of this Notification.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of NCT of Delhi,
SUSHMA SINGH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Scanned by CamScanner